न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 34/2023 ई.रे. दिनांक 05.02.2026

कैलाश पिता चांदमल चौधरी कलाल नि. केवलपुरा तह. बडीसादडी

– प्रार्थी

बनाम

1– बाबरू पिता धुला मीणा नि. जुनी बड़वल तह. बडीसादडी
2– नंदा पिता धूला मीणा नि. जुनी बड़वल तह. बडीसादडी
3– मांगु पिता धूला मीणा नि. जुनी बड़वल तह. बडीसादडी
4– लालसिंह पिता धूला मीणा नि. जुनी बड़वल तह बडीसादडी
5–राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री डी.के. वैष्णव वकील प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1– प्रार्थी की ओर से न्यायालय मे एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 12/17 मु.रे. होकर ठोस तथ्यों पर आधारित होने से निश्चित ही प्रार्थी के हक में निर्णित होगा किन्तु प्रकरण के अंतिम निस्तारण में समय लगने की संभावना है।

2– खाता संख्या 119 की आराजी नम्बर 9 रकबा 0.31 हैक्ट. लगानी 2.17 रूपया मौजा केवलपुरा ए तहसील बडीसादडी में स्थित है जिसके पुराने नम्बर आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा एक बिघा 9 बिश्वा है।

3– उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी रामा के खातेदारी की थी रामा ने उक्त आराजीयात अमरचंद पिता मेघा कलाल को रहन रख दी थी जो कि सम्वत 2011 से 2014 की जमाबंदी में दर्ज है तथा रहन भी टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व किया था तथा रहन के बाद उक्त आराजी के साथ अन्य आराजी भी दिनांक 25.06.1953 को बिल एवज 700/– रूपये मे रामा के वारीस रूपा व भेरा ने अमरचंद, भेरूलाल, नंदलाल को विक्रय कर दी तथा विक्रय की लिखीपटी भी स्टाम्प पर निष्पादित कर दी तथा वादग्रस्त आराजी अमरचन्द पिता मेघा कलाल टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा वादग्रस्त आराजी अमरचन्द जी को रहन होने से उक्त सेटलमेन्ट जमाबंदी में बहैसियत खातेदार अमरचन्द का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज करना चाहिए था लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने अमरचंद का नाम से हटा दिया जो कि कानूनन गलत है। अमरचंद की मृत्यू हो चुकी है तथा अमरचंद जी के नाथूलाल, भेरूलाल, व नंदलाल वारीस है तथा आराजी नम्बर 7 नाथुलाल जी के हिस्से में आई तथा आराजी नम्बर 8 नंदलाल जी के हिस्से में आई व आराजी नम्बर 6 व 13 भेरूलाल जी के हिस्से में आई इसलिये वादग्रस्त आराजी पर नंदलाल जी काबिज थे। नंदलाल जी की मृत्यू हो चुकी है जिनके वारीस उनके पुत्र चांदमल, सुरेश व नरेंद्र हुए। चांदमल की मोत हो चुकी है जिसका वारीस उसका पुत्र वादी कैलाश है। इसलिये वादग्रस्त आराजी वादी एवं सुरेश व नरेंद्र की संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

4– उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात नंदलाल जी की खरीदशुदा होकर टिनेन्सी एक्ट लागु होने के पूर्व से नंदलाल जी काबिज थे तथा विकय पत्र भी सन् 1953 का है तथा वादग्रस्त आराजी पर नंदलाल जी काबिज थे तथा उनकी मृत्यू के बाद प्रार्थी एवं सुरेश व नरेंद्र संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसे 12 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है इसलिये प्रार्थी टिनेन्सी एक्ट की धारा 63(1)(4) के तहत खातेदार काश्तकार हो चुके है।
5– उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी रूपा व भेरा के खातेदारी में दर्ज थी व भेरा जी की मृत्यू हो चुकी है जिसका वारीस उसका भाई रूपा था तथा की भी मृत्यू हो चुकी है। जिसका वारीस उसका गोदी पुत्र होलिया था लेकिन वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रिकाड मे दर्ज होने से वे नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को रहन ,बय, बक्षीश कर हस्तांतरण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी मे जबरन दखलदांजी नही करे न करावें तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।
6– प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है, यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया बया तो प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही हो सकेगी इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।
अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी मे जबरन दखलअंदाजी न करें न करावें तथा किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करें न करावें तथा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–
1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी रूपा व भेरा के खातेदारी में दर्ज थी व भेरा जी की मृत्यू हो चुकी है जिसका वारीस उसका भाई रूपा था तथा की भी मृत्यू हो चुकी है। जिसका वारीस उसका गोदी पुत्र होलिया था लेकिन वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रिकाड मे दर्ज होने से वे नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को रहन ,बय, बक्षीश कर हस्तांतरण करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>
चूंकि वाद ग्रस्त आराजीयात आराजीयात अमरचंद पिता मेघा कलाल को रहन रख दी थी जो कि सम्वत 2011 से 2014 की जमाबंदी में दर्ज है तथा रहन भी टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व किया था तथा रहन के बाद उक्त आराजी के साथ अन्य आराजी भी दिनांक 25.06.1953 को बिल एवज 700/– रूपये मे रामा के वारीस रूपा व भेरा ने अमरचंद, भेरूलाल, नंदलाल को विकय कर दी तथा विकय की लिखीपटी भी स्टाम्प पर निष्पादित कर दी तथा वादग्रस्त आराजी अमरचन्द पिता मेघा कलाल टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा सेटलमेन्ट जमाबंदी में बहैसियत खातेदार अमरचन्द का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज करना चाहिए था । अमरचंद की मृत्यू हो चुकी है तथा अमरचंद जी के नाथूलाल, भेरूलाल, व नंदलाल वारीस है तथा आराजी नम्बर 7 नाथुलाल जी के हिस्से में आई तथा आराजी नम्बर 8 नंदलाल जी के हिस्से में आई व आराजी नम्बर 6 व 13 भेरूलाल जी के हिस्से में आई इसलिये वादग्रस्त आराजी पर नंदलाल जी काबिज थे। नंदलाल जी की मृत्यू हो चुकी है जिनके वारीस उनके पुत्र चांदमल, सुरेश व नरेंद्र हुए। चांदमल की मोत हो चुकी है जिसका वारीस उसका पुत्र वादी कैलाश है। प्रार्थी का प्रथम

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है, यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया बया तो प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही हो सकेगी इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी सावित करने में सफल रहे है।

—:आदेश:—

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है, यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया बया तो प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही हो सकेगी इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 34/2023) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.07.2023 के अनुसार उभयपक्ष मौजा केवलपुरा ए पटवार हल्का केवलपुरा की आराजी नं. 9 रकबा 0.31 हैक्ट. भूमि में जबरन दखलदांजी न करे न करावे तथा किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे न करावे प्रार्थी को उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इस हेतु उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) सत्यमेव जयते

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी